

प्ररूप 21 ग
(नियम 64 देखिए)

(साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)
लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन परिणाम की घोषणा

71-नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र से राजस्थान (राज्य) की विधान सभा के लिए निर्वाचन
निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,
1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में, मैं घोषणा करता हूं कि -

श्री जवाहरसिंह बेदम, ग्रा.पो. बेदम तह. डीग जिला- डीग जो भारतीय जनता पार्टी द्वारा
खड़े किए गए हैं।

उपर्युक्त निर्वाचन-क्षेत्र से उस सदन में स्थान को भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हो गए
हैं।

स्थान एम. एस. जे. कॉलेज, भरतपुर
दिनांक 03-12-2023

ish
(विष्णु बंसल)

रिटर्निंग ऑफिसर

71 - नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उप खण्ड अधिकारी एवं उप खण्ड मजिस्ट्रेट, नगर)

(विष्णु बंसल)

रिटर्निंग ऑफिसर

071-नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगर)

Form 21C

(See rule 64)

(For use in General Election when seat is Contested)

Declaration of the result of Election under Section 66 of the Representation of the People Act, 1951

Election to the Legislative Assembly of **Rajasthan** State from the **71-Nagar** Assembly Constituency.

In Pursuance of the Provisions Contained in Section 66 of the Representation of the People Act, 1951, read with rule 64 of the Conduct of Elections Rules, 1961, I declare that-

Shri **JAWAHARSINGH BEDHAM**, VPO- **BEDHAM**, TEH-**DEEG**, DISTT- **DEEG** Sponsored by **BHARATIYA JANATA PARTY** has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place **M.S.J. COLLEGE, BHARATPUR**
Dated **03-12-2023**

vish
(Vishnu Bansal)
Returning Officer
71-Nagar Assembly Constituency
Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Nagar

(विष्णु बंसल)
रिटर्निंग ऑफिसर
071-नगर विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र
(उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट, नगर)